मिजोरम में शांति के पच्चीस साल

योगेन्द्र यादव

July 2011

इस देश में मिजोरम की हैसियत तो चवन्नी के बराबर भी नहीं है. अगर आप तीस जून को आइजोल में बैठ कर देश के मानसपटल को पढ़ने की कोशिश करते तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचते. इस साल तीस जून के दिन मिजोरम के ऐतिहासिक शांति समझौते की पच्चीसवीं वर्षगाँठ थी. लेकिन राष्ट्रीय कहलाने वाले अखबारों या चैनलों ने मिजोरम की सुध न ली. सुबह दूरदर्शन ने खबर चलायी कि आज के दिन से चवन्नी के सिक्के का चलन बंद हो जायेगा. मिजोरम की खबर चवन्नी की विदाई के आगे-पीछे कहीं जिक्र के लायक भी नहीं समझी गयी.

भारत सरकार और मिज़ो विद्रोहियों के बीच तीस जून 1986 को हुआ समझौता कोई छोटी-मोटी घटना नहीं थी. समझौते से पहले बीस साल तक मिज़ो विद्रोह मिजोरम वासियों के लिये त्रासदी, शासकों के लिये सरदर्द और भारत के दामन पर दाग बना रहा था. अपनी पराकाष्ठा पर इस विद्रोह ने भारतीय सत्ता को वो चुनौती दी थी जो नागालैंड, कश्मीर या पंजाब में भी कभी नहीं मिली. सन 1966 में मिज़ो विद्रोहियों ने आइजोल शहर को छोड़कर ज्यादातर इलाकों से भारतीय राज्यसत्ता को उखाड़ फेंका था. स्वतंत्र भारत में भारत सरकार ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ वायु सेना से हमला किया था. उसके बाद सुरक्षा बलों का दमनचक्र चला. विद्रोह को कुचलने के लिये सुरक्षा बलों ने तमाल जायज-नाजायज तरीकों का इस्तेमाल किया. दमन के वो किस्से आज भी बुजुर्गों को याद हैं. विद्रोहियों ने जंगल की पनाह ली, उन दिनों पूर्वी पाकिस्तान से मदद ली और छापामार युद्ध शुरू किया. भारत सरकार की सत्ता कायम हुई लेकिन जंगल और जनमानस पर विद्रोहियों का कब्ज़ा रहा. कई वर्ष के गतिरोध के बाद राजीव गाँधी के प्रधानमन्त्री बनते ही शांतिवार्ता ने गति पकड़ी और समझौता हुआ.

मिज़ो शांति समझौते की गिनती दुनिया भर में सशस्त्र विद्रोह को कागज़-कलम से ख़त्म करने की सबसे सफल कोशिशों में होती है. उससे एक साल पहले पंजाब और असम में भी शांति समझौते हुए थे, लेकिन इन सबकी तुलना में मिजोरम का समझौता एक अद्भुत सफलता साबित हुआ. शांति समझौते पर दस्तखत होते ही विद्रोहियों ने हथियार डाल दिये, मिजोरम राज्य बन गया, चुनाव हुए, कल के विद्रोही सत्ता पर काबिज हुए और हिंसा-प्रतिहिंसा का सिलसिला बंद हो गया. आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांत राज्य है.

पच्चीस साल की शांति के चलते आज मिजोरम की स्थिति पूर्वोत्तर के किसी भी अन्य राज्य से बेहतर है. साक्षरता के लिहाज से मिजोरम देश के तमाम राज्यों में तीसरे नंबर पर है. प्रति व्यक्ति आय पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से बेहतर है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादात सबसे कम. देश भर में अनुसूचित

जनजाति कोटा के अफसरों में मिजोरम वासियों की संख्या इस छोटे से राज्य के हिसाब से बहुत ज्यादा है. विकास के लिहाज से बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन अगर यह समझौता न होता तो हालात वहां न पहुंचते जहाँ आज पंहुचे हैं.

ऐसे ऐतिहासिक समझौते की इतनी बेकद्री क्यों? इसका एक कारण तो पूर्वोत्तर के प्रति बाकी देश की बेरुखी है. एक पढ़ा-लिखा महानगरीय हिन्दुस्तानी मैनहटन या मिशिगन के बारे में बात करते हुए फैल जायेगा. लेकिन अगर उसे मणिपुर और मिजोरम के बारे में दो लाईने बोलने को कहेंगे तो बगलें झांकने लगेगा. मिजोरम के मुख्यमंत्री बताते हैं कि भारत के एक राष्ट्रपति को पता नहीं था कि मिजोरम है कहाँ. गंगा के मैदान में रहने वाला एक औसत भारतवासी अपने आप को इस देश का मालिक समझता है और बाकी सब को किरायेदार. जब पूर्वोत्तर के युवजन दिल्ली या उत्तर भारत में कहीं और शिक्षा या रोजगार के लिये आते हैं तो वे नस्लभेद का शिकार होते हैं, उनसे विदेशियों जैसा बर्ताव होता है.

इसलिए ले-देकर पूर्वोत्तर की चिंता कोई करते हैं तो या तो आतंरिक सुरक्षा के ठेकेदार वाले या फिर मानवाधिकार के पैरोकार. फौज और गुप्तचर अजेंसी वालों को शांति में कोई दिलचस्पी नहीं. मानवाधिकार वालों को भी अच्छे खबर से ज्यादा दिलचस्पी बुरी खबर में रहती है. इसके चलते मिजोरम में पच्चीस साल कि शांति के सबक सीखने में किसी को दिलचस्पी नहीं हैं. अगर हम गंभीर होते तो पूछते कि नक्सली समस्या, कश्मीर के जनाक्रोश और पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोहियों के बारे में नीति बनते वक्त हम मिजोरम की सफलता से क्या सीख सकते हैं.

मिजोरम का अनुभव हमें तीन सबक सिखाता है. पहला तो यह, कि छोटी फुन्सी ही बाद में नासूर बनती है. इलाका चाहे जितना भी छोटा हो, जनता की समस्याओं को नज़रंदाज़ करना खतरे से खाली नहीं है. अगर दुःख सच्चा है तो उसे जल्द से जल्द शीर्ष स्तर पर निपटाना बेहतर है. मिजोरम के विद्रोह के बीज तब पड़े जब राज्य के भीषण अकाल के समय बाकी देश सोया रहा. मोरारजी देसाई के अहंकार ने मिज़ो समझौते में दस साल की देर करा दी. राजीव गाँधी कि आत्मीयता ने दुबारा दरवाजे खोले. यह सबक आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को उजड़ने वाली योजनाओं पर लागू होता है.

दूसरा सबक अनेकता में एकता वाला है. बाकि देश से भिन्न इलाकों से एकता के सूत्र जोड़ने के लिये उनकी विविधता का सम्मान करना अनिवार्य है. मिज़ो समझौता तभी हो पाया जब एक जिले से भी कब आबादी वाले इलाके को राज्य का दर्जा मिला. यही नहीं, संविधान में एक विशेष धारा 371 जी जोड़ी गयी जिसके तहत भारत की संसद द्वारा बनाये गए अनेक कानून मिजोरम पर लागू नहीं होते हैं, अगर वे मिज़ो समाज की परम्पराओं के अनुरूप नहीं हैं. यह सबक आज कश्मीर और मणिपुर जैसे इलाको पर लागू होता है.

तीसरा सबक यह कि जनसमर्थन से चल रहे विद्रोह को कुचलने या तिकड़म से हारने की बजाय उसे सत्ता में हिस्सा देना सबसे समझदारी का काम है. तीस जून को औपचारिक मिज़ो समझौता होने से एक हफ्ता पहले केंद्र और मिजोरम में सत्ताधारी काँग्रेस पार्टी और विद्रोही मिज़ो नॅशनल फ्रंट के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था. यह तय हुआ था कि जैसे ही विद्रोही हथियार डाल देंगे, वैसे ही काँग्रेस के मुख्यमंत्री लालथान्हावला अपनी कुर्सी खाली कर देंगे और विद्रोही नेता लालदेंगा को मुख्य मंत्री बनाया जायेगा. यही हुआ, और चुनाव जीतने से पहले ही लालदेंगा नए प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए. इस अनोखे और उदार फैसले ने दीर्घकालीन शांति का रास्ता साफ़ किया. यह सबक त्रिपुरा, नागालैंड और असम सहित देश के कई इलाकों पर लागू होता है जहाँ केंद्र सरकार पहले विद्रोहियों में फूट डालती है और फिर जब समझौता करने का वक्त आता है तो यही तिकड़म उसके गले की फांस बन जाती है. सभी समूहों के साथ समझौता कैसे किया जाये, यह किसी को समझ नहीं अता.

यह सबक हम तभी सीख सकते हैं अगर हम पूर्वोत्तर में रहने वालों को इस देश का किरायेदार नहीं मालिक मानना शुरू करें.

(लेखक सामायिक वार्ता के सम्पादक हैं)